न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 277 सन 2019

अनवान :–

1. महावीर पुत्र गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कासीराम पुत्र गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
2. लिछमण पुत्र गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
3. जगदीश पुत्र गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
4. रामचन्द्र पुत्र गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
5. फुलादेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
6. रेषमी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. किताब पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. गुडडी उर्फ रेशमा पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. देवतराम पुत्र शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर हनुमानगढ।
10. रामनिवास पुत्र शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. रामकिशन पुत्र शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. सरलादेवी पुत्री शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. राजोदेवी उर्फ राजबाला पुत्री शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. गायत्रीदेवी पुत्री शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. सरोज पुत्री शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 30/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 23/0.9740 ,36/0.3770 ,453/2 की 5.3110 ,455/7.6130 ,826/463 की 0.506हैक कुल 17.7810हैक भूमि वादी के पिता गोपाल के नाम एवं खसरा न0 403/1 की 0.5690हैक व खसरा न0 409/1 की 4.1350हैक कुल 4.7040हैक भूमि वादी एवं वादी के पिता गोपालराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के पिता गोपालराम को देहान्त हो गया है जिसके जायत व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 8 एवं गोपालराम की पुत्री शान्ति के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 है गोपालराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 है

गोपालराम के नाम से दर्ज भूमि का गोपालराम ने अपने जीवनकाल में अपने नाम दर्ज भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर कब्जा सम्भलवा दिया था गोपालराम के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है ।

गोपालराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 15 जो वादी की बहने एवं बहने के जायज वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 गोपालराम के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिससे वादी के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की गोपालराम के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्उ में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा/राजीनामा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि गोपालराम के नाम से दर्ज है जिसका गोपालराम ने अपने जीवनकाल में ही बाहमी बटवारा कर दिया था उसी के अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काश्त करते आ रहे है। तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 15 ,जो वादी की बहन एवं बहन के वारिसान है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में उनके बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा /राजीनामा पेश किया गया। ईकबाल दावा/राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 16 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 23/0.9740 ,36/0.3770 ,453/2 की 5.3110 ,455/7.6130 ,826/463 की 0.506हैक कुल 17.7810हैक भूमि वादी के पिता गोपाल के नाम एवं खसरा न0 403/1 की 0.5690हैक व खसरा न0 409/1 की 4.1350हैक कुल 4.7040हैक भूमि वादी एवं वादी के पिता गोपालराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के पिता गोपालराम को देहान्त हो गया है जिसके जायत व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 8 एवं गोपालराम की पुत्री शान्ति के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 है गोपालराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 है

गोपालराम के नाम से दर्ज भूमि का गोपालराम ने अपने जीवनकाल में अपने नाम दर्ज भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर कब्जा सम्भलवा दिया था गोपालराम के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है ।

गोपालराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 15 जो वादी की बहने एवं बहने के जायज वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 गोपालराम के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 23/0.9740 ,36/0.3770 ,453/2 की 5.3110

उपख... (राजस्व)
... टर

,455/7.6130 ,826/463 की 0.506हैक कुल 17.7810हैक भूमि वादी के पिता गोपाल के नाम एवं खसरा न0 403/1 की 0.5690हैक व खसरा न0 409/1 की 4.1350हैक कुल 4.7040हैक भूमि वादी एवं वादी के पिता गोपालराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के पिता गोपालराम पुत्र उदा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एवं गोपालराम पुत्र उदाराम की पुत्री शान्ति का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 है अर्थात गोपालराम पुत्र उदा के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में कर दिया हे एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता ने बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 ता 15 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो /मामा के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य उनके पिता ने बाहमी बटवारा कर दिया जो राजीनामा में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के द्वारा स्वीकार करने एवं प्रस्तुत साक्ष्यों सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्त के मध्यनजर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 15 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त के मध्यनजर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कासीराम के पास रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 23/0.7940 ,36/3.377हैक , 453/2/5 की 1.0622 ,828/463/5 की 0.1012हैक कुल 5.5144हैक भूमि रहेगी लिछमण के पास खसरा न0 455 की 3.8065हैक , 453/2/3 की 1.0622हैक 828/463/3 की 0.1012हैक कुल 4.9699हैक व जगदीश के पास खसरा न0 455/1 की 3.8065हैक , 453/2/4 की 1.0622हैक , 828/463/4 की 0.1012हैक 409/1/1 की 0.380हैक कुल 5.3499हैक रामचन्द्र के पास खसरा न0 453/2/2 की 1.0622हैक , 828/463/2 की 0.1012हैक , कुल 1.1634हैक व महावीर के पास खसरा न0 453/2/1 की 1.0622हैक , 828/463/1 की 0.1012हैक , 409/1 की 3.753हैक , 403/1 की 0.5690हैक कुल 5.4854हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार से राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महावीर पुत्र गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कासीराम पुत्र गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
2. लिछमण पुत्र गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
3. जगदीश पुत्र गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
4. रामचन्द्र पुत्र गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
5. फुलादेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
6. रेषमी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. किताब पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. गुडडी उर्फ रेशमा पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. देवतराम पुत्र शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर हनुमानगढ।
10. रामनिवास पुत्र शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. रामकिशन पुत्र शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. सरलादेवी पुत्री शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. राजोदेवी उर्फ राजबाला पुत्री शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. गायत्रीदेवी पुत्री शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. सरोज पुत्री शान्तिदेवी पुत्री गोपालराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 277 सन 2019 निर्णय दिनांक– 30/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कासीराम के पास रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 23/0. 7940 ,36/3.377हैक , 453/2/5 की 1.0622 ,828/463/5 की 0.1012हैक कुल 5.5144हैक भूमि रहेगी लिछमण के पास खसरा न0 455 की 3.8065हैक , 453/2/3 की 1.0622हैक 828/463/3 की 0.1012हैक कुल 4.9699हैक व जगदीश के पास खसरा न0 455/1 की 3.8065हैक , 453/2/4 की 1.0622हैक , 828/463/4 की 0.1012हैक 409/1/1 की 0.380हैक कुल 5. 3499हैक, रामचन्द्र के पास खसरा न0 453/2/2 की 1.0622हैक , 828/463/2 की 0.1012हैक , कुल 1.1634हैक व महावीर के पास खसरा न0 453/2/1 की 1.0622हैक , 828/463/1 की 0. 1012हैक , 409/1 की 3.753हैक , 403/1 की 0.5690हैक कुल 5.4854हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार से राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)